संख्याः 916 /XXVII (1)/2007

प्रेषक,

एल0एम0 पन्त,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1

देहरादून ::दिनांकः 17 :अक्टूबर,2007

विषयः–द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों के अन्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2007–08 की द्वितीय तिमाही हेतु वित्तीय संक्रमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुति के अन्तर्गत शासन द्वारा लिए गये निर्णयानुसार प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु द्वितीय किश्त कुल धनराशि **रु0 209109000.00 (रु0 बीस करोड़ इक्यानवे लाख नौ हजार मात्र)** को संलग्नानुसार अंकित धनराशि को निम्नलिखत शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2 (1)– संक्रमित धनराशि को वेतन एवं भत्ते आदि पर व्यय नहीं किया जा सकेगा। ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के बिल कोषागार से आहरण हेतु जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा बिल जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ग्राम पंचायत को देय धनराशि/प्रतिशत अंश द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड के संस्तुतियों के अन्तर्गत किया जायेगा।

(3)– ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी क्रास्ड बैंक ड्राफ्ट द्वारा विलम्बतम् 15 दिन में सम्बन्धित पंचायत को प्राप्त कराई जाएगी।

(4) संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674ए/XXVII(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर,2006 द्वारा निर्गत मार्ग निर्देश सिद्धान्त के अनुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का व्ययावर्तन /समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के उपरान्त बदलाव अनुमन्य होगा।

(5)– उपयोग प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत के सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर कराकर महालेखाकार उत्तराखण्ड, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव पंचायत राज को भेजा जाएगा। प्रमाण पत्र के साथ कराए गए कार्य का पूर्ण विवरण (कराए गए कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा। उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किश्त निर्गत की जाएगी।

3– इस पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– आयोजनेत्तर–02–पंचायती राज संस्थाएं–198–ग्राम पंचायतें–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाएगा।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव

संख्याः 916 (1) /XXVII (1) /2007, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, गढ़वाल/ कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, पंचायती राज, देहरादून।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

17/X/2007

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव

शासनादेश संख्याः 916 /XXVII (1)/ 2007

दिनांक : 17.10.2007 का संलग्नक।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत वित्तीय वर्ष 2007–08 की द्वितीय किश्त हेतु ग्राम पंचायतों को आवंटित समनुदेशन का विवरण।

(धनराशि हजार रूपये में)

क0सं0	जनपद	विकास खण्ड का नाम	द्वितीय किश्त हेतु देय संकमण
1	2	3	4
1-	अल्मोड़ा	भैसियाछाना	719
		भिकियासैण	1053
		चौखुटियॉ	1252
		धौलादेवी	2620
		द्वाराहाट	1561
		हवलबाग	1436
		लमगड़ा	1730
		सल्ट	2224
		स्याल्दे	1779
		ताकुला	947
		ताडीखेत	2424
		योगः–	**17745**
2-	बागेश्वर	बागेश्वर	2621
		गरूड़	1229
		कपकोट	2444
		योगः–	**6294**
3-	चमोली	दशोली	1505
		देवाल	1179
		गैरसैण	2326
		घाट	1088
		जोशीमठ	3277

क0सं0	जनपद	विकास खण्ड का नाम	द्वितीय किश्त हेतु देय संकमण
1	2	3	4
		कर्णप्रयाग	1996
		नारायणबगड़	1099
		पोखरी	1324
		थराली	1063
		योगः–	**14857**
4-	चम्पावत	बाराकोट	661
		चम्पावत	2684
		लोहाघाट	856
		पाटी	1158
		योगः–	**5359**
5-	देहरादून	चकराता	2185
		डोईवाला	2950
		कालसी	2260
		रायपुर	3036
		सहसपुर	3780
		विकासनगर	3003
		योगः–	**17214**
6-	हरिद्वार	बहादराबाद	8297
		भगवानपुर	4372
		खानपुर	1361
		लक्सर	2646
		नारसन	3720
		रूड़की	3208
		योगः–	**23604**
7-	नैनीताल	बेतालघाट	1324
		भीमताल	1075

क0सं0	जनपद	विकास खण्ड का नाम	द्वितीय किश्त हेतु देय संकमण
1	2	3	4
		धारी	730
		हल्द्वानी	3302
		कोटाबाग	1060
		ओखलकांड़ा	1739
		रामगढ़	1146
		रामनगर	1691
		योगः–	**12067**
8-	पौड़ी	बीरोखाल	3277
		दुग्गड्डा	6470
		द्वारीखाल	3935
		एकेश्वर	1983
		कल्जीखाल	2546
		खिर्सू	1360
		कोटाबाग	1861
		लैंसडाउन	2583
		नैनीडाण्डा	3243
		पाबौ	2630
		पौड़ी	1629
		पोखड़ा	1478
		रिखणीखाल	2422
		थलीसैण	4439
		यमकेश्वर	4013
		योगः–	**43869**
9-	पिथौरागढ़	बेरीनाग	2071
		धारचूला	3016
		डीडीहाट	847

क0सं0	जनपद	विकास खण्ड का नाम	द्वितीय किश्त हेतु देय संकमण
1	2	3	4
		गंगोलीहाट	2480
		कनालीछीना	1159
		मुनाकोट	1228
		मुनस्यारी	3418
		पिथौरागढ़	1176
		योगः–	**15395**
10-	रूद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	3154
		जखोली	1489
		ऊखीमठ	1547
		योग	**6190**
11-	टिहरी	भिलंगना	5573
		चम्बा	1494
		देवप्रयाग	1804
		जाखणीधार	1183
		जौनपुर	2434
		कीर्तिनगर	1104
		नरेन्द्र नगर	1324
		प्रतापनगर	1296
		थौलधार	1185
		योग	**17397**
12-	ऊधम सिंह नगर	बाजपुर	1854
		गदरपुर	1511
		जसपुर	1722
		काशीपुर	1305
		खटीमा	4621
		रूद्रपुर	1823

क0सं0	जनपद	विकास खण्ड का नाम	द्वितीय किश्त हेतु देय संक्रमण
1	2	3	4
		सितारगंज	4755
		योग	**17591**
13-	उत्तरकाशी	भटवाड़ी	2154
		चिन्यिालीसौण	1296
		डुंडा	1493
		मोरी	1768
		नौगांव	4061
		पुरोला	755
		योगः–	**11527**
		महायोगः–	**209109**

(धनराशि रू0 बीस करोड इक्यानब्बे लाख नौ हजार मात्र)

17/X/2007

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त।